

(2)

6. प्रस्तावित इकाई स्थल का पूर्ण पता

गाँव/ शहर															
डाकघर															
ब्लॉक								तहसील							
जिला								पिन कोड							

7. परियोजना मंजूरी के क्षेत्र में पसंद के बैंक का नाम एवं पूर्ण पता टेलीफोन नं० सहित

बैंक का नाम															
गाँव/ शहर															
जिला															
टेलीफोन नं.															

8. शैक्षिक योग्यता कोर्स/ डिग्री

(अ) शैक्षिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	(ब) तकनीकी योग्यता	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान
आठवीं पास			
हाईस्कूल			
इण्टरमीडिएट			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			

9. क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम दो सप्ताह) में भाग लिया है (निशान लगाएँ)

हाँ

नहीं

प्रशिक्षण संस्था का नाम व पता	प्रशिक्षण की अवधि	प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि

10. लाभार्थी किस श्रेणी से सम्बन्धित हैं (निशान लगाएँ)

अनु०जाति	अ०ज०जाति	ओबीसी	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	अल्पसंख्यक	पर्वतीय क्षेत्र	साधारण

11. परियोजना का प्रकार (निशान लगाएँ)

उत्पादन / विनिर्माण

ईकाई

सेवा/ व्यवसाय

12. प्रस्तावित परियोजना / व्यवसाय गतिविधि का नाम -

13. अपेक्षित ऋण राशि (रु० में)

भवन स्वयं का/ किराये का	पूँजीगत व्यय ऋण					
	कार्यशाला / भवन	मशीनरी एवं उपकरण	परिचालन पूर्व लागत	कार्यशील पूँजी/ नकद ऋण सीमा	योग	प्रस्तावित रोजगार

14. केन्द्र/राज्य सरकार की योजना या समान प्रकार की किसी अन्य योजना से पूर्व में लिए गये थे या वर्तमान ऋण/अनुदान और सब्सिडी का विवरण

परियोजना एवं उद्योग का नाम व पता	धनराशि	स्वीकृत करने का वर्ष

मैं प्रमाणित करता हूँ कि दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, और यह कि मैंने और मेरे किसी आश्रित ने ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र/किसी राज्य सरकार से या बैंक से सब्सिडी/सहबद्ध योजना के अन्तर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान -

टिप्पणी :-

- अ. निजी अंशदान के रूप में अजा./अजजा./अल्पसंख्यक/पिछड़ावर्ग भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/पर्वतीय क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत और सामान्य के लिए 10 प्रतिशत निवेश होगा।
- ब. कुल परियोजना लागत विनिर्माण इकाई के लिए रु. 25 लाख एवं व्यवसाय/सेवा इकाई के लिए रु. 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स. आवेदक को स्वयं के अंशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा।
- द. विनिर्माण इकाई के लिए रु. 10 लाख एवं सेवा इकाई के लिए रु. 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए अभ्यर्थी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- य. आवेदन-पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
 1. शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र (विनिर्माण उद्योग में रु. 10 लाख और सेवा उद्योग में रु. 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाली इकाई के मामले में)
 2. अ.जा./अ.ज.जा./अपिब/शावि/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाण पत्र।
 3. यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम 2 सप्ताह के) प्रशिक्षण में भाग लिया है, तो प्रमाण-पत्र की छया प्रति प्रस्तुत करें।

कार्यालय प्रयोग के लिए (निरस्त / जिला कार्यदल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए)

कारण : (यदि अस्वीकार किया गया हो)

स्थान :-

अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :-

नाम, और पदनाम